संख्या-104/2016/2200/35-3-2016-1(43)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष कार्याधिकारी।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर ,2016

विषय: स्थल परिवर्तन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-398/बी.ए.डे.का./2016-17 दिनांक 03 सितम्बर,2016 के सन्दर्भ मे मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक कार्य-योजना 2015-16 मे अनुमोदित प्रा.वि. सिंघाडा टाटरगंज के स्थान पर प्रा.वि. नगरिया खुर्द कलां तथा उ.प्रा. विद्यालय भरतपुर के स्थान पर उ.प्रा. विद्यालय नगरिया खुर्द कलां मे शौचालय निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शौचालय निर्माण कार्य पूर्व मे अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्र्तगत पूर्ण किया जायेगा कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।

शासनादेश संख्या-70/2015/1625/35-3-2015-1(43)/2015 दिनांक:18 दिसम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-104/2016/2200(1)/35-3-2016-1(43)/2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, पीलीभीत।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष कार्याधिकारी।